फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री लक्ष्मण — **विपक्षी :– श्री भगवतसिंह**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का.अ. — **पत्रावली संख्या : 23/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 25.11.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प थामला में पेश हुई। तहसीलदार मावली से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर तहसीलदार मावली से प्राप्त बंटवाडे को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की बहस पर मनन किया। पक्षकारान द्वारा तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः उभय पक्ष बंटवाडे पर सहमत होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री लक्ष्मण पुत्र लेहरू माली सा. मामादेव खातेदार	1490/1 1491/1	0.0084 0.0055	0.10 0.02
	योग	**किता 2**	**0.0139**	**0.12**
2	भगवतसिंह पुत्र भेरूसिंह हिस्सा 1643/2506 शारदा कुंवर पत्नी भगवतसिंह 863/2506 राजपुत सा. देह खातेदार	1490	0.2506	1.98
	योग	**किता 1**	**0.2506**	**1.98**
3	भगवतसिंह पुत्र भेरूसिंह हिस्सा 916/1402 शारदा कुंवर पत्नी भगवतसिंह हिस्सा 486/1402 राजपुत सा. देह खातेदार	1491	0.1402	0.43
	योग	**किता 1**	**0.1402**	**0.43**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021</u>

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री मयंक मनीष, I.A.S

मुकदमा नम्बर : 23/21 (वाद)

उनवान

1. श्री लक्ष्मण पिता लेहरू माली निवासी मामादेव थामला तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. श्री भगवतसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री विक्रमसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत निवासी थामला तह. मावली। ड्रोप
3. श्री महेन्द्रसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत निवासी थामला तह. मावली। ड्रोप
4. श्री शक्तिसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत निवासी थामला तह. मावली। ड्रोप
5. तहसीलदार साहब मावली तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी व प्रतिवादी सं. 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.2021 को मयंक मनीष, I.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	श्री लक्ष्मण पुत्र लेहरू माली सा. मामादेव खातेदार	1490/1 1491/1	0.0084 0.0055	0.10 0.02
	योग	**किता 2**	**0.0139**	**0.12**
2	भगवतसिंह पुत्र भेरूसिंह हिस्सा 1643/2506 शारदा कुंवर पत्नी भगवतसिंह 863/2506 राजपुत सा. देह खातेदार	1490	0.2506	1.98
	योग	**किता 1**	**0.2506**	**1.98**
3	भगवतसिंह पुत्र भेरूसिंह हिस्सा 916/1402 शारदा कुंवर पत्नी भगवतसिंह हिस्सा 486/1402 राजपुत सा. देह खातेदार	1491	0.1402	0.43
	योग	**किता 1**	**0.1402**	**0.43**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 25.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:14:53 IST
Reason: SelfAttested